



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18072025-264721
CG-MH-E-18072025-264721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3174]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2025/आषाढ़ 25, 1947

No. 3174]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2025/ASHADHA 25, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 15 जुलाई, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20 E के तहत

का.आ. 3244(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008(2008 का 11 वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख अप्रैल 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1658 (अ) तारीख 9 अप्रैल 2025 (जिसे इसमें इस के पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपावधि अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् वर्धा-बल्लारशाह तिसरी लाईन निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20-क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् 'महाविदर्भ' (मराठी), महाविदर्भ (हिंदी) और 'दैनिक वाहते वारे' में तारीख 30 अप्रैल 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा(1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तूत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपावध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपावध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रूप से निहीत हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिले में, वरोरा तालुका से नागरी सेक्षण के अंतर्गत गाव- नागरी और गौलखुर्द सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, वरोरा के अधीन विशेषरेल परियोजना वर्धा-बल्लारशाह तिसरी लाईन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

अ. क्र.	भूसंपाद न प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूधारणा पद्धति	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर.)			
1	01/65/2024-25	वरोरा		अनिल दादाजी सातपुते, गोपाल दादाजी सातपुते	133	1	3.04	0.1683			
2				विलास गजानन देव, मिलींद मधुकर देव, प्रकाश मधुकर देव, ज्योती शिरीषराव ठाकरे, चेतना संजयराव देशपांडे, शरद गजानन देव	413	1	0.15	0.1050			
3				विनोद शामराव कहुर्के	163	1	2.90	0.1231			
4				चंद्रशेखर सुर्यभान मुजवैले	425	1	0.80	0.0616			
5				हरिचंद्र सुर्यभान मुजवैले, देवानंद सुर्यभान मुजवैले, विवेकानंद सुर्यभान मुजवैले	164	1	4.49	0.05			
							कुल	11.38 हे.आर.			
								0.5080 हे.आर.			

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूधारणा पद्धति	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर.)
1	02/65/2024-25	गोलबुरु	वरोरा	नारायण अंबादास किनारे, बावराव अंबादास किनारे, राहुल माणिक किनारे, दिपक माणिक किनारे, रुद्रमावाई अंबादास किनारे, सागर गुलाव किनारे, शंकर तुलशिराम किनारे, पंचफुला रामचंद्र उड्के, जया गोलु घोडमारे, जिजा माणिक किनारे, शशिकला अरुण येरमे, सुभद्रावाई तुलशिराम किनारे, इंदुवाई माणिक किनारे, ज्योत्ता लक्ष्मण मसराम, रेखा सतिश पुरके	26/1	1	5.80	0.11
कुल						5.80 हे.आर.	0.11 हे.आर.	
कुलक्षेत्र						17.18 हे.आर	0.6180 हे.आर.	

[फा. सं. G197/ Wardha – Ballarshah 3rd line/ Warora /20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th July, 2025

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 3244(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1658 (A) dated 09 April 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Wardha–Ballarshah 3rd Line**” in the district of Chandrapur in the state of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “**Mahavidarbha (Marathi)**” **Mahavidarbha (Hindi)** And “**Dainik Vahate Ware**” Dated 30 April 2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section(1)of section 20E of the said act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette; the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government Free from all encumbrances.

SCHEDELE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project“Wardha–Ballarshah 3rd Line”in village Nagari & Gaulkhurd Taluka-Warora Dist-Chandrapur Nagri Section under Sub Divisional officer , Warora the district Chandrapur in the State of Maharashtra.

Sr No.	Land Acquisition Case No.	Name of Village	Taluka	As per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 (H.a.)	Acquisition area (Ha.)
1	01/65/2024-25	Nagri	Warora	Anil Dadaji Satpute, Gopal Dadaji Satpute	133	1	3.04	0.1683
2				Vilas Gajanan Dev, Milind Madhukar Dev, Prakash Madhukar Dev, Jyoti Girishrao Thakre, Chetna Sanjayrao Deshpande, Sharad Gajanan Dev	413	1	0.15	0.1050
3				Vinod Shamrap Kahurke	163	1	2.90	0.1231
4				Chandrashekhar Suryabhan Mujbaile	425	1	0.80	0.0616
5				Harichandra Suryabhan Mujbaile, Devanand Suryabhan Mujbaile, Vivekanand Suryabhan Mujbaile	164	1	4.49	0.05
Total							11.38 Ha.	0.5080 Ha
1	02/65/2024-25	Gaulkhurd	Warora	Narayan Ambadas Kinnake, Babarao Ambadas Kinnake, Rahul Manik Kinnake, Dipak Manik Kinnake, Rukmabai Ambadas Kinnake, Sagar Gulab Kinnake, Shankar Tulshiram Kinnake, Panchfula Ramchandra Uike, Jaya Golu Ghodmare, Jija Manik Kinnake, Shashikala Arun Yerme, Subhadrabai Tulshiram Kinnake, Indubai Manik Kinnake, Jyotsana Laxman Masram, Rekha Satish Purke	26/1	1	5.80	0.11.
Total							5.80 Ha	0.11 Ha
Grand Total							17.18 Ha	0.6180 Ha

[F. No. G197/ Wardha – Ballarshah 3rd line/ Warora /20E]
AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)